मोतीलाल वगै0 बनाम धूड़ाराम वगै0
मु0 नं0– 183/2025
जीसीएमएस – 2025/281

18/08/25

पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उप0। पत्रावली में बहस उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः आदेश 12 नियम 6 सीपीसी, आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार राजीनामा के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैं।

आदेश

वाद पत्र वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम रींगस स्थित भूमि खसरा नं0 3504/1 रकबा 0.92 हैक्टे0 के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाकर इनके हिस्से का खातेदार वादी 1 ता 2 व तरतीबी प्रतिवादी 4 ता 9 को ब0हि0ब0 घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार रींगस मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मूर्तीब हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे हजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रींगस

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:31:15 IST
Reason: SelfAttested